

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9

वृन्दावन योजना लखनऊ।

Email:-emovrindavanlko@upavp.com



पत्रांक

/सं0प्र0 वृन्दावन/

दिनांक

कार्यालय आदेश

परिषद की, वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0-11/COM-103 कार्यालय पत्र संख्या-1701/सं0प्र0 वृन्दावन/दिनांक-16.05.2023 द्वारा श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान के पक्ष में ई-नीलामी दिनांक-31.01.2023 के माध्यम से आवंटित किया गया था। श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान ने उक्त भूखण्ड में अपने नाम के साथ Azure Infratech Pvt. Ltd. डी-2/122, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 का नाम जोड़ने हेतु अपने प्रार्थना पत्र दिनांक-12.06.2024 द्वारा अनुरोध किया है, जिस हेतु निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं :-

- 1 प्रार्थना पत्र।
- 2 दोनो पक्षों द्वारा रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र मूलरूप में।
- 3 दोनो पक्षों राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो ग्राफ एवं हस्ताक्षर।
- 4 आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ।
- 5 कम्पनी के प्रपत्र।
- 6 संयुक्त नाम से किये जाने हेतु परिषद नियमानुसार जमा निर्धारित शुल्क रू0 6,99,601.00।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के आधार पर व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM-103 जो श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान के पक्ष में आवंटित है के साथ Azure Infratech Pvt. Ltd. डी-2/122, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 का नाम जोड़ते हुये संयुक्त नाम से किये जाने के एतद्वारा आदेश इस शर्त के अधी दिये जाते है, कि उक्त सम्पत्ति में प्रत्येक दशा में मूल आवंटी का स्वामित्व अवश्य रहेगा एवं सम्पत्ति के बटवारे का अधिकार नहीं होगा। परिषद के समस्त नियम व शर्तें अब श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान एवं Azure Infratech Pvt. Ltd. पर संयुक्त रूप से लागू होगी। उक्त प्रपत्रों में यदि कोई कथन प्रपत्र गलत या असत्य पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं परिषद नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही पृथक से की जाएगी।

शेष नियम व शर्तें पूर्व निर्गत प्रदेशन-पत्र के अनुसार रहेगी।


पृष्ठ सं0 2186 /उक्त/
प्रतिलिपि:-

सम्पत्ति प्रबन्धक
तददिनांक 24/6/2024

- 1 श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान निवासी-12/668, इन्दिरा नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 Azure Infratech Pvt. Ltd. डी-2/122, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 का सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक

IS 15700:2005



सोरोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।
Email:-emovrindavanlko@upavp.com



पत्रांक

/सं0प्र0 वृन्दावन/
कार्यालय आदेश

दिनांक

परिषद की, वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0-11/COM-103 कार्यालय पत्र संख्या-1701/सं0प्र0 वृन्दावन/दिनांक-16.05.2023 द्वारा श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान के पक्ष में ई-नीलामी दिनांक-31.01.2023 के माध्यम से आवंटित किया गया था। श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान ने उक्त भूखण्ड में अपने नाम के साथ Azure Infratech Pvt. Ltd. डी-2/122, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 का नाम जोड़ने हेतु अपने प्रार्थना पत्र दिनांक-12.06.2024 द्वारा अनुरोध किया है, जिस हेतु निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं :-

- 1 प्रार्थना पत्र।
- 2 दोनों पक्षों द्वारा रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र मूलरूप में।
- 3 दोनों पक्षों राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो ग्राफ एवं हस्ताक्षर।
- 4 आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ।
- 5 कम्पनी के प्रपत्र।
- 6 संयुक्त नाम से किये जाने हेतु परिषद नियमानुसार जमा निर्धारित शुल्क रू0 6,99,601.00 ।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के आधार पर व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM-103 जो श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान के पक्ष में आवंटित है के साथ Azure Infratech Pvt. Ltd. डी-2/122, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 का नाम जोड़ते हुये संयुक्त नाम से किये जाने के एतद्वारा आदेश इस शर्त के अधी दिये जाते हैं, कि उक्त सम्पत्ति में प्रत्येक दशा में मूल आवंटी का स्वामित्व अवश्य रहेगा एवं सम्पत्ति के बटवारे का अधिकार नहीं होगा। परिषद के समस्त नियम व शर्तें अब श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान एवं Azure Infratech Pvt. Ltd. पर संयुक्त रूप से लागू होगी। उक्त प्रपत्रों में यदि कोई कथन प्रपत्र गलत या असत्य पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं परिषद नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही पृथक से की जाएगी।

शेष नियम व शर्तें पूर्व निर्गत प्रदेशन-पत्र के अनुसार रहेगी।

पृष्ठ सं0 2186 /उक्त/
प्रतिलिपि:-

सम्पत्ति प्रबन्धक
तददिनांक 24/6/2024

- 1 श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन0यू0 खान निवासी-12/668, इन्दिरा नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 Azure Infratech Pvt. Ltd. डी-2/122, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 का सूचनार्थ प्रेषित।


सम्पत्ति प्रबन्धक



पत्र सं०-

दिनांक-

व्यवसायिक भूखण्ड का भौतिक कब्जा हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र

शहर का नाम-लखनऊ, योजना का नाम वृन्दावन योजना संख्या-3, लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM/103, आवंटी का नाम श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन.यू.खान पता-12/668, इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं AZURE INFRATECH PVT. LTD. कम्पनी के डायरेक्टर श्री ब्रिज बिहारी लाल पुत्र श्री नानक प्रसाद श्रीवास्तव पता-D-2/122, विन्मूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ। सम्पत्ति प्रबन्धक, कार्यालय (वृन्दावन योजना), लखनऊ के पत्रांक-3258/सं.प्र. वृन्दावन/ दिनांक 03.09.2024 के सन्दर्भ में उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा सम्बन्धित आवंटी को आज दिनांक 04.09.2024 को हस्तान्तरित किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड की माप एवं क्षेत्रफल निम्नवत् है :-

भूखण्ड का क्षेत्रफल	-----	831.60 Sqm.
भूखण्ड के सामने की माप	-	21.60 Mt.
भूखण्ड के पीछे की माप	-	21.60 Mt.
भूखण्ड के बायें किनारे की माप	-	38.50 Mt.
भूखण्ड के दायें किनारे की माप	-	38.50 Mt.

उपरोक्त विवरण का स्थल सत्यापन करते हुए व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM/103 के भौतिक कब्जे का हस्तान्तरण किया गया।

परिषद की ओर से कब्जा हस्तान्तरित किया गया

कब्जा प्राप्त किया

हस्ताक्षर

(आशीष कुमार जैन)

अवर अभियन्ता

निर्माण खण्ड लखनऊ-02, लखनऊ।

शाहजहाँ

हस्ताक्षर

Azure Infratech Pvt. Ltd.

(शाहजहाँ खातून व Azure Infratech Pvt. Ltd.

कम्पनी के डायरेक्टर ब्रिज बिहारी लाल)

Director

प्रति हस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता

पृ० सं० 1429 / 11/COM / 103

दिनांक 04/09/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2. सम्बन्धित आवंटी श्रीमती शाहजहाँ खातून पत्नी श्री एन.यू.खान पता-12/668, इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं Azure Infratech Pvt. Ltd. कम्पनी के डायरेक्टर श्री ब्रिज बिहारी लाल पुत्र श्री नानक प्रसाद श्रीवास्तव पता-D-2/122, विन्मूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
3. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ।


अधिशाली अभियन्ता/प्रशासनिक अधिकारी

निर्माण खण्ड लखनऊ-02,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।



संख्या: 1701

/सं0प्र0 वृन्दावन/

दिनांक 16/5/2023

सेवा में,

"अनन्तिम-पत्र"

श्रीमती शाहजहाँ खातून
पत्नी श्री एन0यू0 खान
निवासी-12/668, सेक्टर-12,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।
मो0न0 9415009578

विषय: परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM-103(Corner), आवंटन के संबन्ध में।
नहोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको सूचित करते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM-103(Corner) की ई0नीलामी दिनांक 31-01-2023 में सम्मिलित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM-103(Corner) हेतु आरक्षित दर रू0 83,776.00 प्र0व0मी0 के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम बोली रू0 84,126.00 प्रति वर्ग मीटर को उप आवास आयुक्त (लखनऊ जोन) द्वारा की गई संस्तुति के दृष्टिगत आवास आयुक्त (म0) के कार्यालय आदेश संख्या 356/सं0प्र0-3/ई-नीलामी/31.03.2023-भाग-1 दिनांक 13.03.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM-103(Corner) का प्रदेशन-पत्र आपके पक्ष में अद्योलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है :-

(1)	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11/COM-103(Corner), का क्षेत्रफल	831.60 व0मी0
(क)	स्वीकृत उच्चतम बिड	रू0 84,126.00 प्र0व0मी0
(ख)	भूखण्ड का कुल मूल्य (फ्री-होल्ड शुल्क सहित)	रू0 6,99,59,182.00
(ग)	टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि	रू0 69,66,812.00
(घ)	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 10% धनराशि जो दिनांक 31.08.2023 तक देय है।	रू0 70,03,195.00
(ङ)	प्रदेशन पत्र की तिथि से छः माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 30.11.2023 तक देय है।	रू0 70,03,195.00
(च)	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 9 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 29.02.2024 तक देय है।	रू0 70,03,195.00
(छ)	प्रदेशन पत्र निर्गत की तिथि से 12 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 31.05.2024 तक देय है।	रू0 70,03,195.00
(ज)	स्वीकृत मूल्य की शेष 50% धनराशि की 11% ब्याज सहित 10 छमाही किश्तें दिनांक 01.06.2024 से देय होगी।	रू0 3,49,79,591.00
(1)	प्रथम छमाही किश्त की धनराशि	रू0 46,40,742.00

(2) छमाही किश्तों की संख्या-10
(3) अर्धवार्षिक किश्त प्रत्येक 06 माह के प्रथम दिनांक से देय होगी।

(4) जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान करना होगा।

(5) विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क, नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को कराना होगा।

(6) प्रदेशन ग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब करते हुये नियमानुसार अन्य कटौतियों करते हुये निरस्त किया जायेगा।

(7) व्यवसायिक भूखण्डों उपयोग के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी प्रदेशन ग्रहीता पर लागू होंगे। किसी सक्षम न्यायालय के/स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देनदार नहीं होगा।

(8) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदनुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा।

(9) आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 06 माह के अन्दर भूखण्ड के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के विक्रय मूल्य रू0 6,99,59,182.00 का प्रतिशत रू0 54,75,870.00 घटाकर एवं जमा पंजीकरण को समायोजित करते हुए रू0 5,94,94,411.00 जमा करना होगा।

कमशः 2 पर



ANSHU K. SINGH
NOTARY PUBLIC
GOVT. OF U.P.

नोट:-

- (1) आवंटी द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित करत द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा चार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।
- (2) ₹ 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
- (3) अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु शासनादेशानुसार स्टाम्प पेपर जो शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तनीय है।
- (4) भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 50% जमा करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात हस्तगत किया जा सकेगा।
- (5) अनुबन्ध/विक्रय विलेख हेतु ₹ 300.00 ₹ 50.00 फी-होल्ड पुस्तिका हेतु व ₹ 100.00 साईट प्लान एवं विज्ञापन व्यय हेतु ₹ 1,74,898.00 संलग्न ऑन लाईन विवरण के अनुसार तक जमा करने का कष्ट करें।
- (6) कब्जा हेतु दिनांक 31-05-2024 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करें अन्यथा परिषद नियमानुसार दिनांक 01-06-2024 से ₹ 100.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
- (7) मासिक किश्तों की धनराशि संलग्न ऑन लाईन विवरण के अनुसार जमा कर जमा की गयी धनराशि की अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (8) किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 13% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। जो वास्तविक देय तिथि से देय होगा।
- (9) तीन नग साईट प्लान अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-....., उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- (10) टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि परिषद खातों में समाशोधित होने पर यह आवंटन विधिमान्य होगा।
- (11) आयकर अधिनियम-1961 की धारा-194-1ए के अनुसार प्रत्येक जमा की जाने वाली धनराशि पर 1 (एक) प्रतिशत आयकर के रूप में (फार्म नं०-26 क्यू०बी० में ऑनलाईन द्वारा) परिषद पैन नं०-AAAJU0103A पर संस्था को जमा करना होगा, जिसका समायोजन देय धनराशि से किया जायेगा। विलम्ब की दशा में नियमानुसार ब्याज भी देय होगा, जिसकी जिम्मेदारी संस्था की होगी। (साधारण+ अतिरिक्त ब्यजा) की देनदारी परिषद की नहीं होगी।



भवदीय,

165-23
सम्पत्ति प्रबन्धक
/ कृते आवास आयुक्त

Sworn & Verified
16/05/24

AMBALA CANTONMENT
ADVOCATE & NOTARY
Vai. Chauhan, Anand
Adampur, Jambh. Lucknow